भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली**, 26** नवंबर**, 2024**

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पैन 2.0 **परियोजना को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी**

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ, यह परियोजना करदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें कई प्लेटफ़ॉर्म/पोर्टल के एकीकरण और पैन/टैन धारकों को कुशल सेवाएँ देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं: ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। पैन 2.0 के कार्यान्वयन से, ये सभी सेवाएँ एक एकल, एकीकृत पोर्टल पर एकीकृत हो जाएँगी। वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म पैन और टैन से संबंधित मुद्दों/मामलों को व्यापक रूप से नियंत्रित करेगा, जिसमें आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और यहाँ तक कि ऑनलाइन पैन सत्यापन भी शामिल है। इस प्रकार आयकर विभाग इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, देरी को समाप्त करने और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।

पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरण अनुकूल, कागज रहित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

- सभी पैन/टैन-संबंधित सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल, जिससे उपयोगकर्ताओं की पहुँच आसान होगी।
- कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कागज रहित प्रक्रियाएँ।
- पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण समय भी कम होगा।
- व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।

- उपयोगकर्ता प्रश्नों और समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क।

यह अपग्रेड करदाताओं के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि त्वरित सेवा वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण और संवेदनशील डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना उपयोगकर्ताओं के लिए पैन/टैन का ऑनलाइन आवेदन, अपने विवरण का अपडेट और पैन जानकारी को डिजिटल रूप से मान्य करना सरल बना देगी। इन प्रक्रियाओं को समेकित और पुनः-इंजीनियर करके, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक सहज, पारदर्शी और समावेशी प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

For providing further clarity, a FAQ document has been prepared which is attached herewith.

अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए, एक 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' दस्तावेज़ तैयार कर संलग्न किया गया है ।

(वी. राजिथा)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता